

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली  
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई.-25(13)/379/एल.डब्ल्यू./2021-22/2341-2342

दिनांक – 01.01.2022

सेवा में,

✓ श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 02, दिनांक – 03.01.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 02 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-03.01.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

संख्या – डी.ई.-25(13)/379/एल.डब्ल्यू./2021-22/2341-2342

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

अशोक कुमार  
01/01/22  
(अशोक कुमार)  
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)  
ASHOK KUMAR  
Deputy Director of Education  
दिनांक (LW Branch) 01/01/2022  
Directorate of Education  
Govt. of NCT of Delhi  
Secretariat, Delhi-110054

नीरज  
11.1.2022  
(नीरज छतवाल)  
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)

Section Officer  
(L.W. Branch)  
Dte. of Education  
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग  
विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारंकित प्रश्न संख्या :- 02

दिनांक :- 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री ओमप्रकाश शर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा पिछले दो सालों में दिल्ली सरकार के विद्यालयों में रिइम्प्लॉईमेंट प्राप्त करने वाले कुछ टीचर्स एवं गेस्ट टीचर्स को नौकरी से हटाया गया है; और	दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विभिन्न पदों पर अध्यापकों की सेवानिवृति पर तथा नई नियुक्तियां होने के क्रम में रिइम्प्लॉईमेंट की प्रक्रिया पहले से अपनाई जाती रही थी जो कि स्थायी शिक्षकों के संबंध में आदेश दिनांक-10.09.2020 (संलग्नक 'क') से बंद कर दी गई। अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के उपरान्त उन्हें रिक्त पदों पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है
ख)	यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?	

*ASHOK*  
**ASHOK KUMAR**  
Deputy Director of Education  
(LW Branch)  
Directorate of Education  
Govt. of NCT of Delhi  
Old Secretariat, Delhi-110054

OFFICE OF DIRECTOR OF EDUCATION  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No/PS/DE/2020/160

ORDER

Dated :-10.09.2020


SUBJECT : DISCONTINUING THE PROVISION OF RE-EMPLOYMENT IN R/O TEACHERS/VICE  
PRINCIPALS/PRINCIPALS

Whereas the system for Re-employment of Teachers was notified and later extended to Vice Principals and Principals in view of the large number of vacancies which existed at that time in the Directorate of Education.

And Whereas the Department has recently been able to fill a large number of vacant posts through Direct Recruitments.

As such the system of Re-Employment of Teachers/Vice Principals/Principals is no longer required.


Now, therefore, the provision of Re-Employment of Teachers/Vice Principals/Principals is discontinued with immediate effect. Accordingly, all types of Re-employment granted for the session 2020-21 in govt. and govt. aided schools shall cease to be in force with immediate effect and no re-employment shall be granted to the Teachers/Vice Principals/Principals in govt. and govt. aided schools, henceforth.

  
UDIT PRAKASH RAI  
DIRECTOR (EDUCATION)

Heads of All Govt./Aided Schools (for immediate compliance)

Copy to:-

1. PS to Minister of Education, GNCTD
2. SO to Chief Secretary, GNCTD
3. PS to Prin. Secretary (Education), GNCTD
4. All RDEs/DDEs for compliance
5. DDE Admn (at HQs)
6. OS IT to put on Deptt's website

  
UDIT PRAKASH RAI  
DIRECTOR (EDUCATION)